फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,
किशनगढ अजमेर (राज0)
सचिन बनाम लालचन्द वगै.
दीवानी वाद संख्या – 46/2012
सी.आई.एस संख्या– 508/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.11.2025	वकील पक्षकारान उपस्थित। गवाह सचिन खण्डेलवाल उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1/4 भगवानदास की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सपठित धारा 151 जा.दी. उसके अधिवक्ता श्री प्रतीक मेहता ने मय वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता वादी को दिलाई गई। जिन्होने प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत नही करना चाहा। जिस पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्व इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.08.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। प्रार्थी/प्रतिावदी ने उसके अग्रज भ्राता महेश के देहावसान के कारण परिवार में पूर्ण सामंजस्य नही होने व विवाद की स्थिति रहते इस प्रकरण की जानकारी नही होने का कथन किया है। प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में दर्शित कारणो के संबंध में कोई ससुंगत दस्तावेज इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। परंतु यह न्यायालय नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतो को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रार्थना पत्र को कॉस्ट पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत समझती है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र 1500/– रूपये कॉस्ट पर स्वीकार कर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1/4 भगवान दास दासानी के विरूद्व अमल मे लाई गई एकपक्षीय कार्यवाही दिनांकित 12.08.2024 को अपास्त करती है। आदेश सुनाया गया। मुताबिक आदेश प्रार्थी/प्रतिवादी ने वादी को 1500/– रूपये कॉस्ट अदा की। पत्रावली वास्ते जिरह/साक्ष्य वादी हेतु दिनांक **19.11.2025** को पेश हो। **(संदीप आनन्द)**	